औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
(Industrial Dispute Act 1947)

औद्योगिक विवाद अधिनियम सम्पूर्ण भारत में 01 अप्रेल, 1947 से लागू हुआ। यह नियम सामाजिक सुरक्षा व न्याय के सिद्धान्त पर औद्योगिर विवादों का निपटान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

महत्वपूर्ण परिभाषाएं :

(1) औद्योगिक विवाद : औद्योगिक विवाद से नियोजकों और नियोजकों के बीच या नियोजकों और कर्मचारियों के बीच तथा कर्मचारियों एवं कर्मचारियों के बीच कोई ऐसा विवाद या मदभेद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन या नियोजन के निबंधनों या श्रम शर्तो से सम्बन्धित है।

(2) कर्मकार (Workman) : कर्मकार से ऐसा कोई व्यक्ति (प्रशिक्षु समेत) अभिप्रेत है जो कि किसी उद्योग में कोई कौशलपूर्ण या कौशल रहित शारीरिक, पर्यवेक्षणीय, प्राविधिक या लिपिक सम्बन्धी कार्य अवक्रय या पुरस्कार (Hire or reward) पर करने के लिए नियोजित है, चाहे नियोजन की शर्ते अभिव्यक्त या प्रलक्षित हो और इस अधिनियम के अधीन औद्योगिक विवाद के संबंध में किसी कार्यवाही के लिए ऐसा कोई व्यक्ति इसके अन्तर्गत आता है जो ऐसे विवाद के संबंध में या ऐसे विवाद के परिणाम स्वरूप पदच्युत किया गया, अलग किया गया या छांट दिया गया है अथवा जिसकी पदच्युति, अलहदगी या छंटनी होने के कारण ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ हो। किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं आता है :–

(अ) जो स्थल सेना अधिनियम 1950 अथवा वायु सेना अधिनियम 1950 अथवा सेना अधिनियम 1957 के अध्याधीन हो अथवा

(ब) जो पुलिस सेवा में या कारावास के पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त हो अथवा

(स) जो प्रबन्धक या प्रशासकीय सामार्थ्य में मुख्य रूप से नियुक्त हो, अथवा

(द) जो पर्यवेक्षणीय स्थिति में नियुक्त होकर एक हजार छः सौ रूपये प्रति माह से अधिक वेतन प्राप्त करता हो।

(3) काम बिना रहने देना (Lay off) : किसी नियोजक द्वारा ऐसे कर्मकार को जिसका नाम उसके औद्योगिक संस्थान के मास्टर रोल में दर्ज है और जिसकी छंटनी नहीं हुई है उसे कोयले, विद्युत, शक्ति या कच्ची सामग्री की कमी या स्टाक जमा हो जाने या तंत्र भंग के कारण नियोजन देने में असफल होना, इन्कार करना या असमर्थ होना अभिप्रेत है।

(4) कारखाना बन्दी (Lock out) : कारखाना बन्दी से अस्थायी रूप में नियोजन स्थान को बन्द कर देना या काम का निलम्बन या अपने द्वारा नियोजित किसी संख्या में व्यक्तियों को नियोजन में लगाये रखने से नियोजक द्वारा इन्कार किया जाना अभिप्रेत है।

(5) हड़ताल (Strike) : हड़ताल से आशय किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर कार्य करते हुए काम बन्द कर देना या किसी संख्या में ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो नियोजित है या ऐसे नियोजन में लगे रहे, काम करते रहने से या नियोजन प्रतिग्रहित करने से समन्त्रित इन्कार करना या सामान्य करार के अधीन इन्कार अभिप्रेत है।

(6) उद्योग (Industry) : उद्योग का अर्थ है कोई क्रमबद्ध कार्य जो नियोजक और उसके नियोजितीगण द्वारा निष्पादित किया जाता है। ऐसे नियोजितीगण सीधे ऐसे नियोजक द्वारा अथवा किसी अभिकरण जिसके अन्तर्गत ठेकेदार है, के द्वारा या माध्यम से नियुघ किये गये हो, के बीच सहयोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से (ऐसी आवश्यकताओं या इच्छाएं नहीं जो केवल आध्यात्मिक या धार्मिक प्रकृति की हो) वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण के लिए संचालित किया जाता हो चाहे,

(1) ऐसा कार्य करने के लिए पूंजी लगाई गई हो या न लगाई गई हो
अथवा तथा इसके अन्तर्गत आता है :–

(क) गोदी श्रमिक (सेवा विनियमन) अधिनियम 1948 के अन्तर्गत स्थापित गोदी श्रमिक परिषद का कोई कार्य,

(ख) किसी व्यवस्थापन द्वारा विक्रय या व्यापार या दोनों के प्रवर्तन से सम्बन्धित कोई कार्य, किन्तु इसके अन्तर्गत नहीं आता है :–

(i) कोई कृषि कार्य सिवाय जहाँ ऐसे कृषि कार्य किसी अन्य कार्य से समन्वित रूप में चलाया जाता हो (ऐसा कार्य होते हुए भी जो इस खण्ड में पूर्व के उपबन्धों में निर्देशित हो और ऐसे अन्य प्रचलित कार्य हो)

(ii) चिकित्सालय या औषधालय, अथवा

(iii) शिक्षा सम्बन्धी, विज्ञापन सम्बन्धी अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण संस्थाएं, अथवा

(iv) संगठनों के स्वामित्व अथवा प्रबन्ध वाली संस्थाएं जो पूर्णतः या स्थायी रूप से धर्मार्थ समाज या परोपकारी सेवा में लगी हो, अथवा

(v) खादी अथवा ग्रामीण उद्योग, अथवा

(vi) सरकार का कोई कार्य जो सरकार के सम्प्रभु कार्यो से सम्बन्धित हो, अथवा

(vii) कोई घरेलू सेवा, अथवा

(viii) कोई कार्य जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा व्यवसाय के रूप में किया जाता हो जबकि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या ऐसे व्यवसाय के संबंध में दस से कम हो, अथवा

(ix) कोई कार्य जो ऐसा कार्य हो जिसे कोई सहकारी संस्था या क्लब अथवा तत्सहश व्यक्तियों या समूह करता हो जबकि ऐसे कार्य के संबंध में ऐसी सहकारी संस्था, क्लब या व्यक्तियों के निकाय द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या दस से कम हो।

(7) छंटनी : छटनी से नियोजक द्वारा कर्मकार की सेवा का ऐसा पर्यवसान अभिप्रेत है, जो अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही के रूप में दिये गये दण्ड से भिन्न किसी अन्य कारण से किया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्न सम्मिलित नहीं है :–

(क) कर्मकार की स्वैच्छापूर्ण निवृत्ति, या

(ख) अधिवार्षिकी आयु का हो जाने पर कर्मकार की उस दशा में निवृत्ति जिसमें नियोजक और कर्मकार के बीच हुई किसी नियोजन संविदा में उस निमित कोई अनुबन्ध अन्तर्विष्ट हो, अथवा

(खख) नियोजक और कर्मकार के बीच हुई नियोजन संविदा के समाप्त हो जाने पर उसका नवीकरण न किए जाने या नियोजन संविदा में उस निमित अन्तर्विष्ट किसी अनुबन्ध के अधीन ऐसी संविदा का पर्यवसान किए जाने के फलस्वरूप किसी कर्मकार की सेवा का पर्यवसान, या

(ग) इस आधार पर कर्मकार की सेवा का पर्यवसान (Termination) कि उसका स्वास्थ्य बराबर खराब रहा है।

(8) मजदूरी (Wages) : काम की शर्तो को पूरा करने पर काम के बदले में दी जाने वाली वह राशि जो मुद्रा में भुगतान की जाये, जिसमें सभी प्रकार के भत्ते, मकान किराये की राशि, पानी, बिजली, चिकित्सा व यात्रा कन्सेशन शामिल है।
परन्तु मजदूरी में बोनस, भविष्य निधि या पेंशन में नियोजक द्वारा दिया अंशदान या उपदान शामिल नहीं है।

<u>औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण</u> :–

(1) कार्य समिति (Works Committee) : ऐसे किसी औद्योगिक संस्थापन की अवस्था में, जिसमें एक सौ या उससे अधिक कर्मकार नियोजित है या पिछले बारह मास में किसी दिन नियोजित रहे हैं, समुचित सरकार नियोजक से साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि यह नियोजकों के और उस संस्थापन में लगे हुए कर्मकारों के प्रतिनिधियों की एक कार्य समिति विहित रीति में इस प्रकार गठित करं कि समिति के कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम न हो। कार्य समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह नियोजकों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंध बनाने के उपाय करें।

(2) समझौता पदाधिकारी (Concillation Officer) : समुचित सरकार ऐसी संख्या में, जैसी कि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर औद्योगिक विवाद में बीच बचाव करने और उनका

निबटान करा देने का कर्त्तव्य भार रखा गया हैं, समझौता अधिकारी होने के लिए राजकीय गजट के अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकेगी। कोई समझौता पदाधिकारी किसी उल्लिखित क्षेत्र के लिए या उस क्षेत्र में उल्लिखित उद्योग के लिए मर्यादित कालावधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) समझौता बोर्ड (Concillation Board) : समुचित सरकार जब भी अवसर पैदा हो, औद्योगिक विवाद का निपटारा कराने के लिए समझौता बोर्ड राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा गठित कर सकेगी। बोर्ड के अन्तर्गत सभापति और दा या चार अन्य सदस्यों से, जैसा कि समुचित सरकार उचित समझे गठित होगा। सभापति स्वतंत्र होगा व बोर्ड के अन्य सदस्य विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बराबर संख्या में नियुक्त किये जायेंगे।

(4) जाँच न्यायालय (Court of Inquiry) : राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा सरकार किसी विवाहित मामले की जांच करने के लिए जांच न्यायालय का गठन कर सकेगी। न्यायालय एक स्वतंत्र व्यक्ति से या इतने स्वतंत्र व्यक्तियों में से मिलकर गठित हो सकेगा जैसा सरकार उचित समझे। दो या दो से अधिक सदस्यों के नियुक्त होने पर एक सभापति नियुक्त किया जाएगा।

(5) श्रम न्यायालय (Labour Court) : समुचित सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा दूसरी अनुसूची में उल्लेखित किसी विषय से सम्बन्धित औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय करने के लिए तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए जो कि उनको अधिनियम के अधीन सौंपे जाये, एक या अधिक श्रम न्यायालय का गठन कर सकेगी जो कि औद्योगिक विवादों पर अधिनिर्णय होने के लिए स्वतंत्र होगा।

जैसा कि :–

(अ) नियोक्ता द्वारा पारित आदेश की वैधानिकता।

(ब) किसी स्टेण्डिंग आदेश की व्याख्या।

(स) कर्मकार की बेदखली अथवा छंटनी सम्बन्धी आदेश की न्यायिक वैद्यता।

(द) किसी भी पारस्परिक सुविधा पर रोक के आदेश के संदर्भ में।

(य) हड़ताल एवं तालाबन्दी की वैद्यता।

(र) अनुसूची में दर्शाया गए किसी भी मामले के संवर्ग में।

(6) अधिकरण (Tribunel) : समुचित सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी विषय में सम्बन्धित औद्योगिक विवाद के न्याय निर्णय करने के लिए, चाहे वे दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में उल्लिखित हो, एक या अधिक औद्योगिक अधिकरण गठित कर सकती है। अधिकरण निम्न मामलों में अधिनिर्णित कर सकते :–

(अ) मजदूरी जिसमें अवधि एवं भुगतान सम्मिलित है।

(ब) अनुकम्पा एवं अन्य भत्ते।

(स) विश्राम के घण्टे।

(द) बोनस लाभ।

(य) छुट्टी के साथ मजदूरी छुट्टी।

(र) शिफ्ट कार्य।

(7) राष्ट्रीय अधिकरण (National Tribunel) : केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय करने के लिए जो कि केन्द्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न उठाते हैं अथवा ऐसी प्रकृति के हैं कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक संस्थान ऐसे विवादों में हित रखते हुए प्रकट होते हो अथवा प्रभावी होते हो तो एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित कर सकती है।

<u>प्राधिकारियों की प्रक्रिया, शक्तियाँ और कर्त्तव्य</u> :

(1) इन नियमों के अध्याधीन रहते हुए जो इस निमित बनाए जाएं, मध्यस्थ, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जैसा कि मध्यस्थ या अन्य प्राधिकारी उचित व ठीक समझे।

(2) सभी सुलह अधिकारी, प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी किसी विद्यमान या आंशकित औद्योगिक विवाद की जांच के प्रयोजन के लिए, युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात, किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेंगे, जो किसी ऐसे स्थापन के अधिभोग में हो, जिससे वह विवाद सम्बन्धित हों।

(3) सुलह अधिकारी, प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को किसी व्यक्ति को हाजिर कराने, शपथ पत्र देने, दस्तावेज के लिए विवश करने व साक्षी के लिए आयोग बैठाने सम्बन्धित सभी शधियां होगी जो सिविल न्यायालय की होती है।

(4) सुलह अधिकारी, न्यायालय, प्राधिकरण के सदस्यों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जायेगा।

सुलह अधिकारी के कर्त्तव्य :

(1) जहाँ पर औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आंशका है वहां सुलह अधिकारी विहित रीति से सुलह कार्यवाही कर सकेगा या जहाँ कि विवाद किसी लोक उपयोगी सेवा के संबंध में है और धारा–22 के अधीन सूचना दे दी गई है, वहां ऐसी कार्यवाहियां विहित रीति से कर सकेगा।

(2) सुलह अधिकारी विवाद का समझौता कराने के प्रयोजन के लिए विवाद का तथा उसके गुणावगुण और उसके ठीक समझौता होने पर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का अन्वेषण अविलम्ब करेगा व समझौता कराने के लिए पक्षकारों से बात करेगा, जिसे वह ठीक समझे।

(3) यदि विवाद का या विवादग्रस्त मामलों में से किसी का भी समझौता सुलह कार्यवाहियों के द्वारा हो जाता है तो सुलह अधिकारी सरकार या समुचित सरकार द्वारा निमित किसी अधिकारी को उसकी रिपोर्ट, विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्तारक्षित समझौता ज्ञापन सहित भेजेगा।

(4) यदि समझौता नहीं हो पता है तो भी सुलह अधिकारी अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात यथा साध्य शीघ्रता से समुचित सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजेगा जिसमें विवाद से सम्बन्धित तथ्यों, परिस्थितियों, समझोते के लिए उठाये गये कदम, आदि का पूर्ण विवरण व वे कारण जिसके कारण समझौता नहीं हुआ, उपवर्णित करेगा।

(5) इस धारा के अधीन रिपोर्ट, सुलह कार्यवाहियां प्रारम्भ होने के चौदह दिन के भीतर या ऐसी अल्पतर कालावधि के भीतर जैसी समुचित सरकार द्वारा नियत की जाये, भेजी जायेगी।

बोर्ड के कर्त्तव्य (Duties of Board) :

(1) जहाँ कि कोई विवाद इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को निर्देशित किया गया है, वहां बोर्ड का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उसका समझौता कराने का प्रयास करें और बोर्ड इस प्रयोजन के लिए विवाद व समझौता होने पर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का अन्वेषण अविलम्ब ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझे करेगा।

(2) यदि विवाद का या विवादग्रस्त मामलों में से किसी का भी समझौता सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सहित भेजेगा। (दो माह में या समुचित सरकार द्वारा निश्चित समय अनुसार)

(3) रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात समुचित सरकार मामले को किसी न्यायालय या प्राधिकरण को नहीं भेजेगी व सम्बन्धित पक्षकारों को निर्णय से अवगत कराया जायेगा।

न्यायालय के कर्त्तव्य (Duties of Courts) :

न्यायालय अपने को निर्देशित मामलों की जांच करेगा और उन पर अपनी रिपोर्ट समुचित सरकार को जांच प्रारम्भ होने के छः माह की अवधि के भीतर देगा।

श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के कर्त्तव्य :

जहाँ कोई औद्योगिक विवाद, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है तो वह अपनी कार्यवाही शीघ्र व निर्देशित कालावधि में पूरा करेंगे व रिपोर्ट समुचित सरकार को निवेदित करेंगे।

रिपोर्टो और अधिनिर्णयों का प्रकाशन :

समुचित सरकार द्वारा किसी बोर्ड, न्यायालय या अधिकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित की जानी चाहिए।

अधिनिर्णय का प्रारम्भ :

अधिनिर्णय (जिसके अन्तर्गत पंचाट आता है) धारा–17 के अधीन प्रकाशन की तारीख से तीन दिन की समाप्ति पर लागू हो जायेगा, जब तक समुचित सरकार अपने गजट में इसका प्रकाशन नहीं कराये, वह लागू नहीं होगा।

लोक उपयोगी सेवा में हड़ताल :

अधिनिर्णय (जिसके अन्तर्गत पंचाट आता है) धारा–17 के अधीन प्रकाशन की तारीख से तीन दिन की समाप्ति पर लागू हो जायेगा, जब तक समुचित सरकार अपने गजट में इसका प्रकाशन नहीं कराये, वह लागू नहीं होगा।

अवैध हड़ताल व तालाबन्दी :

कोई भी सरकार या समुह जो जन उपयोगी सेवा में कार्यरत है। "हड़ताल" पर नहीं जा सकते है तथा वे नियोक्ता जो जन उपयोगी सेवा से सम्बन्धित है, इस अधिनियम की धारा 22 व 23 की अवहेलना कर यदि हड़ताल या तालाबन्दी करते है तो उसे अवैध माना जायेगा।

यदि निम्न शर्तो को पूरा नहीं किया जाए तो हड़ताल व तालाबन्दी अवैध होगी :

(1) हड़ताल पर जाने से पूर्व छः सप्ताह का नोटिस नहीं देना।
(2) नोटिस देने के 14 दिनों में हड़ताल या तालाबन्दी करना।
(3) नोटिस में दर्शायी तिथि से पूर्व हड़ताल पर जाना।
(4) सुलह अधिकारी के पास लम्बित विवाद के दौरान अथवा सुलह प्रक्रिया की समाप्ति के 07 दिनों के अन्दर।
(5) अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण में लम्बित विवाद के दौरान या सुलह प्रक्रिया समाप्ति के 02 माह के पश्चात जहाँ विवाद नोटिस जारी कर दिया गया है।
(6) "पंचाट" प्रक्रिया में लम्बित विवाद के दौरान अथवा के पूर्व अथवा सुलह प्रक्रिया समाप्ति के 02 माह पश्चात जहाँ विवाद नोटिस जारी कर दिया गया हो।
(7) उस दौरान जब सुलह प्रक्रिया चल रही हो।

अवैध हड़ताल व तालाबन्दी :

(1) जो कर्मकार ऐसी हड़ताल, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, प्रारम्भ करेगा, चालू रखेगा या अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकती है या जुर्माने से, जो पचास रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।
(2) जो नियोजक ऐसी तालाबन्दी, जो इस अधिनियम के तहत अवैध है, प्रारम्भ करेगा, चालू रखेगा या अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक माह तक की या जुर्माना जो एक हजार रूपये तक या दोनों से दण्डनीय होगा।

उकसाने आदि के लिए शास्ति :

जो व्यक्ति हड़ताल या तालाबन्दी जो इस अधिनियम के तहत अवैध है, भाग लेने के लिए दूसरों को उकसायेगा उसे छःमाह का कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

अवैध हड़तालों और तालाबन्दी के वित्तीय सहायता देने के लिए शास्ति :

जो व्यक्ति किसी अवैध हड़ताल या तालाबन्दी के समर्थन में जानते हुए वित्तीय सहायता देगा उसे छःमाह की कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय किया जा सकेगा।

समझौता या अधिनिर्णय के भंग के लिए शास्ति :

जो व्यक्ति किसी ऐसे समझौते या अधिनिर्णय के जो इस अधिनियम के तहत समझौते या अधिनिर्णय को भंग करेगा उसे छःमाह के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। जहाँ भंग लगातार हो वहां प्रत्येक दिन के दो सौ रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।